न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 2199-तीन/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-8-2006 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 609/2005-06 निगरानी

रामपाल सिंह पुत्र स्व. मनोहर सिंह
निवासी मानस नगर रीवा, जिला रीवा

---आवेदक

विरूद्ध

श्यामकली पत्नि कालूप्रसाद पाण्डेय
सकिन ढेरवा तहसील त्योंथर हाल निवास
बरा रीवा जिला रीवा

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित- एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 23-5-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 609/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-8-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने मौजा बरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 27/8 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के सीमांकन की प्रार्थना की। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 158 अ-12/

2005-06 पॅजीबद्ध किया तथा हलका पटवारी से सीमांकन कराकर आदेश दिनॉक 29-7-2006 पारित किया एंव पटवारी व्दारा किये गये सीमांकन को स्वीकार कर लिया। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 424 अ-12/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-7-2006 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 29-7-20.06 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन कार्य किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने प्रकरण क्रमांक 609/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-8-2006 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक को बार-बार सूचना पत्र भेजे जाने के वाद अनुपस्थिति के कारण दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 21 जनवरी 2018 में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया, इसके वाद भी अनावेदक अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि का सीमांकन आवेदन आने पर तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 158 अ-12/2005-06 पॅजीबद्ध करके हलका पटवारी को सीमांकन करने के निर्देश दिये हैं तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-1-2006 का उद्धरण इस प्रकार है :-

" यह प्रकरण आवेदिका श्यामकली व्दारा धारित भूमि ग्राम बरा ख.नं. 27/7 के नाप किये जाने का आवेदन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के मार्फत प्राप्त होने पर हलका पटवारी को मौका बताने का निर्देश दिया गया। निर्देश के परिपालन में हलका पट0 ने मौके पर आवेदिका को भूमि पर मौके पर

सीमा का ज्ञान कराया है और स्थल पंचनामा प्रदर्स P न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं है । नस्तीबद्व कर दा.रि. हो।

हलका पटवारी ने मौके पर अनावेदक को सीमा का ज्ञान करा दिया और स्थल पंचनामा प्रस्तुत कर दिया , किन्तु तहसीलदार ने पारित आदेश में पटवारी व्दारा किये गये सीमांकन को पुष्टिकृत नहीं किया है। अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश में यह माना है कि पटवारी व्दारा किया गया सीमांकन आवेदक की अनुपस्थिति में किया गया है। विचार योग्य है कि क्या धारा 129 के अंतर्गत पटवारी सीमांकन करने हेतु सक्षम है ?

1. **भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)- धारा 129 - सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भूखंड संख्याक का सीमांकन (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किसी हितबद्व पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्याक की या उपखंड या भू खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा।**
2. **भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)- धारा 129 - असाधारण राजपत्र दिनांक 23-12-2010 में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ-2-23-2010 दिनांक 23-12-2010 के अनुसार - इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियां समस्त राजस्व निरीक्षकों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गई है।**
3. **भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)- धारा 129 - इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। (नाथूराम विरूद्व नरोत्तम कुमार 1971 रा.नि. 252 से अनुसरित)**

भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 - पटवारी के कर्तव्यों के नियम 1 लगायत 32 निर्धारित - नियमों के पटवारी के कर्तव्यों में किसी भूमि के भू भाग को सीमांकित करके सीमाचिन्हित कार्यवाही करना निर्धारित नहीं है।

इसके बावजूद भी अपर कलेक्टर रीवा व्दारा आदेश दिनांक 29-7-2006 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग व्दारा आदेश दिनांक 24-8-2006 पारित करते समय उक्त पर ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 609/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-8-2006 , अपर कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 424 अ-12/ 2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-7-2006 एंव तहसीलदार हुजूर व्दारा प्रकरण क्रमांक 158 अ-12/ 2005-06 में पारित आदेश दिनॉक 29-7-2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर